राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामकुमार बनाम रामेश्वर 573/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
07/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व कैम्प खन्नीपुरा में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/06/2017 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को ग्राम यादवखेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 71 पुराना 66 के खसरा नम्बर 147 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157/277 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर व ग्राम खन्नीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 59 पुराना 53 के खसरा नम्बर 68 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229/278 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233/258 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 234/279 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 2.92 हैक्टेयर पर उभयपक्षों की उपस्थिति में मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/06/2017 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को कैम्प कोर्ट में नियत कर पक्षकारान की सुनवाई किये बगैर सरसरी तौर पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित प्रतीत होता है | कानूनन पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये निर्णय व डिक्री पारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामकुमार बनाम रामेश्वर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर विधिक प्रावधानों के विपरित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने में क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है | ऐसी स्थिति में त्रुटीपूर्ण अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री को निरस्त कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/06/2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों को अनुसरण करते हुये पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवेचनात्मक एवं विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: कारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर